नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 27/18 तारीक रजु 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का खोरचपुरी बनाम

श्री सन्तराम पुत्र घासी मीना जाति मीना निवासी सायपुर तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–अधिनियम 1956

निर्णयः– दिनांकः– 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री सन्तराम ने ग्राम सायपुर को भूमि ख.न. 253/640 रकबा 0.05 किस्म चरागाह फसल गेहुँ रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में गेहुँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्व प्रकरण अंतर्गत धारा 91 (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जवाब में उसके द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र पेश कर अतिकमित रकबा को छोडने हेतु लिखकर दिया जो संलग्न पत्रावली किया गया है व मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिकमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिकमित आराजी ख.न. 253/640 रकबा 0.05 किस्म चरागाह वाके ग्राम सायपुर से बेदखल किया किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिकमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.80 का 50 गुणा 40 रु. शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहुँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~/नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिकमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हो। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसुली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर ग/घ के पेज नं0 53 पर
वर्ष 2017-18 में पेनल्टी/~~फसल नीलामी~~
की राशि ... 40 रु. पै0....
की जमा ...